न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 34/2018 वाद
दायर दिनांक :– 16/03/2018
निर्णय दिनांक :– 29/06/2018

अनवान

1. बद्रीलाल पिता प्रताप बंजारा राज्यावास तहसील व जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पिता प्रभुलाल नाई रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. सुरेश पिता ब्रदीलाल नाई रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. दिनेश पिता बद्रीलाल नाई रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. लक्ष्मीलाल पिता ब्रदीलाल नाई रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. गणपति बाई पत्नि बद्रीलाल नाई रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. वदना पत्नि ओमप्रकाश विजयवर्गीय दरीबा तहसील रेलमगरा
7. जसराज पिता हीरा बंजारा चतरा बा का खेडा तहसील रेलमगरा
8. बंशीलाल पिता गोमा बंजारा चतरा बा का खेडा तहसील रेलमगरा
9. भूमि धारक जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वादी की और से जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा के आराजी संख्या 2963 मीन रकबा 01–18 बीघा वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 8 क सयुंक्त स्वामित्व एव आधिपत्य की कृषि भूमियां स्थित है जिसके वादपत्र मे वर्णित भूमियां वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 8 तक की सयुंक्त स्वामित्व आधिपत्य की है जिसमे वादी का 4/9 हिस्सा निहित होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है तथा वादी इसी अनुरूप विभाजन कराना चाहता है एव मौके पर आपसी सुविधा अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात का वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 8 के बीच विभाजन कराया जाना आवश्यक है क्योकि भूमियों के विकास एव उनको उपजाउ बनाने के लिए एव लगान जमा कराने के लिए विभाजन आवश्यक है। जिस निमित्त वादी द्वारा यह विभाजन का वाद आप न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमियों का उपयोग उपभोग कर काश्त कर रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 8 तक को वादपत्र मे वर्णित आराजीयात को विभाजन हेतू आज से एक माह पूर्व कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया जिस कारण वादी का वाद हेतूक आज से करीब एक माह पूर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 9 भूमिधारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा इनके विरूद्ध कोई दाद नही चाही गयी है।

सहायक कलक्टर

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे एव प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 8 तक के विरूद्ध इस आशय की प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात का विभाजन वादपत्र की पैरा संख्या 2 के हिस्सेनुसार कराया जाकर वादी को अपने हिस्से 4/9 का स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे एव उसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे स्वतंत्र अंकन फरमाया जाने की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जारी किये गये प्रतिवादीगण बावजूद सूचना प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 5 की और से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवम् प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने स्वयं उपस्थित होकर सहमति दी गई । प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत रेलमगरा पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर पक्षकारान उपस्थित एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया ।पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा होकर विभाजन किये जाने पर सहमति जाहिर की गयी जिस पर तहसीलदार रेलमगरा को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया। जिस पर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत विभाजन योजना पर सहमति जाहिर की गई। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :

क्र0स0	नाम खातेदार	आराजी नंबर	रकबा	लगान
1	सोहन पिता प्रभु नाई सा.देह खातेदार	2966 मीन/1 2963	0–05–05	0.05
2	सुरेश दिनेश लक्ष्मीलाल पिता बद्रीलाल गणपति पति स्व0 बद्री 1/2 नाई सा.देह. वन्दना पति ओमप्रकाश विजयवर्गीय 1/2 महाजन सा दरीबा खातेदार	2963मीन /2	0–10–10	0.11
3	बद्रीलाल पिता प्रताप बंजारा सा. राज्यावास तह0 राजसमन्द खातेदार	2963मीन	0–17–00	0.16
4	जसराज पिता हीरा 1/2 बंजारा सा. चतरा बा का खेडा भामाखेडा , बंशीलाल पिता गोमा बंजारा 1/2 सा. चतरा बा का खेडा मेणिया खातेदार	2963मीन/3	0–05–05	0.05

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक अंकन किये जाने हेतू पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे ।प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।प़्त्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/06/2018 को कैम्प रेलमगरा पर सुनाया गया।

शक्ति सिंह भाटी
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 34/2018

अनवान

वादी पक्ष :–

1. बद्रीलाल पिता प्रताप बंजारा राज्यावास तहसील व जिला राजसमन्द

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. सोहनलाल पिता प्रभुलाल नाई रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. सुरेश पिता ब्रदीलाल नाई रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. दिनेश पिता बद्रीलाल नाई रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. लक्ष्मीलाल पिता ब्रदीलाल नाई रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. गणपति बाई पत्नि बद्रीलाल नाई रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6 वदना पत्नि ओमप्रकाश विजयवर्गीय दरीबा तहसील रेलमगरा
7. जसराज पिता हीरा बंजारा चतरा बा का खेडा तहसील रेलमगरा
8. बंशीलाल पिता गोमा बंजारा चतरा बा का खेडा तहसील रेलमगरा
9. भूमि धारक जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

दावा :– विभाजन
वादी की ओर से :– अधिवक्ता एम.एल. सालवी
प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता पी.सी.खटीक

मैं इस आशय मे दिनांक 29.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ग्राम रेलमगरा की आराजी संख्या 2963 मील 01–18 बीघा का पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। विभाजन योजना दो–दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया। जिस पर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत विभाजन योजना पर सहमति जाहिर की गई। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :

क्र0स0	नाम खातेदार	आराजी नंबर	रकबा	लगान
1	सोहन पिता प्रभु नाई सा.देह खातेदार	2966 मीन/1 2963	0–05–05	0.05
2	सुरेश दिनेश लक्ष्मीलाल पिता बद्रीलाल गणपति पति स्व0 बद्री 1/2 नाई सा.देह. वन्दना पति ओमप्रकाश विजयवर्गीय 1/2 महाजन सा दरीबा खातेदार	2963मीन /2	0–10–10	0.11
3	बद्रीलाल पिता प्रताप बंजारा सा. राज्यावास तह0 राजसमन्द खातेदार	2963मीन	0–17–00	0.16

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

4	जसराज पिता हीरा 1/2 बंजारा सा. चतरा बा का खेडा भामाखेडा , बंशीलाल पिता गोमा बंजारा 1/2 सा. चतरा बा का खेडा मेणिया खातेदार	2963मीन/3	0–05–05	0.05

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक अंकन किये जाने हेतू पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 29.06.2018 को न्यायलय की मोहर एवम् हस्ताक्षर से जारी की गई।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा